



भारत गणराज्य और ब्राज़ील संघीय गणराज्य के बीच वर्गीकृत सूचना के परस्पर आदान-प्रदान और संरक्षण पर करार।

भारत गणराज्य

और

ब्राज़ील संघीय गणराज्य

इसमें इसके बाद संयुक्त रूप से "पक्षकारों", या एकल रूप से, "पक्षकार" के रूप में संदर्भित।

राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में और पक्षकारों, उनके प्राधिकृत व्यक्तियों, निकायों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग करारों, अनुबंधों और अन्य समझौतों के दायरे में आदान-प्रदान की गई वर्गीकृत जानकारी का संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से; पक्षकारों के राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अनुसार वर्गीकृत सूचना से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं की एक रूपरेखा तैयार करने की आकांक्षा से;

यह पुष्टि करते हुए कि यह करार दोनों पक्षकारों की अन्य अंतरराष्ट्रीय करारों की प्रतिबद्धताओं को प्रभावित नहीं करेगा और इसका प्रयोग अन्य राष्ट्रों के हितों, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के विरुद्ध नहीं किया जाएगा;

निम्नानुसार सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद- I उद्देश्य

1. यह करार पक्षकारों, उनके प्राधिकृत व्यक्तियों और उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले निकायों के बीच आदान-प्रदान की गई वर्गीकृत सूचना के संरक्षण के लिए नियमावली और पद्धतियां स्थापित करता है।
2. यह करार पक्षकारों द्वारा वर्गीकृत जानकारी की उपलब्धता या आदान-प्रदान के लिए बाध्य करने का आधार नहीं है।

अनुच्छेद - II परिभाषाएं

इस करार के प्रयोजनार्थ, शब्द:

- (क) करार से तात्पर्य है यह करार जिसमें इसके अनुलग्नक शामिल हैं;



- (ख) अनुलग्नक से तात्पर्य है इस करार के साथ संलग्न;
- (ग) वर्गीकृत करार से तात्पर्य है वह करार जिसके लिए वर्गीकृत सूचना तैयार करने या उसकी पहुंच या संभावित पहुंच की आवश्यकता होती है और इसमें कोई पूर्व-संविदात्मक विचार-विमर्श भी शामिल है;
- (घ) वर्गीकृत सूचना से तात्पर्य है कोई भी ऐसी जानकारी, चाहे उसका स्वरूप कुछ भी हो, जिसे पक्षकारों द्वारा तैयार या आदान-प्रदान किया जाता है, जिसके अनधिकृत प्रकटीकरण से बचने के लिए संरक्षण की आवश्यकता होती है और जिसके लिए पक्षकारों के राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अनुसार एक सुरक्षा वर्गीकरण तैयार किया गया है;
- (ङ) सक्षम सुरक्षा प्राधिकारी से तात्पर्य है, इस करार के तहत वर्गीकृत सूचना के संरक्षण के लिए प्रत्येक पक्षकार का उत्तरदायी प्राधिकारी;
- (च) सूचना के साथ समझौता करने से तात्पर्य है वर्गीकृत सूचना के किसी भी प्रकार का दुरुपयोग, क्षति या अनधिकृत पहुंच, परिवर्तन, प्रकटीकरण या नष्ट करना, साथ ही साथ कोई अन्य कार्य या अकार्य जिसके परिणामस्वरूप इसकी गोपनीयता, अखंडता, उपलब्धता या प्रामाणिकता का नुकसान होता है;
- (छ) ठेकेदार से तात्पर्य है वह व्यक्ति या उप-ठेकेदार संस्था, जिसे इस करार के दायरे में अनुबंध करने और कार्य करने की कानूनी शक्ति प्राप्त है;
- (ज) फेसेलिटी सिक्योरिटी क्लीयरेंस (एफएससी) से तात्पर्य है सक्षम सुरक्षा प्राधिकारी द्वारा यह निर्धारित करना कि ठेकेदार के पास उचित सुरक्षा उपाय हैं और अतः प्रत्येक पक्षकार के राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अनुसार, वर्गीकृत सूचना के संचालन के लिए वह मान्यता प्राप्त है;
- (झ) वर्गीकृत सूचना के प्रबंधन से तात्पर्य है, प्रस्तुत करना, प्राप्त करना, वर्गीकरण, प्रयोग, पहुंच, पुनः प्रस्तुत करना, परिवहन, पारेषण, वितरण, संग्रह, भंडारण, निपटान, गंतव्य या एक निश्चित सुरक्षा वर्गीकरण स्तर पर वर्गीकृत सूचना के नियंत्रण से संबंधित कार्यों का एक समूह;
- (ञ) जानने की आवश्यकता से तात्पर्य है किसी व्यक्ति को आधिकारिक कार्यों और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए वर्गीकृत सूचना प्राप्त करने, जानकारी रखने या धारण करने की आवश्यकता;
- (ट) मूल पक्षकार से तात्पर्य है वह पक्षकार जिसके प्राधिकार में वर्गीकृत सूचना तैयार की गई है;
- (ठ) व्यक्तिगत सुरक्षा मंजूरी (पीएससी) से तात्पर्य है यह निर्धारण करना कि किसी व्यक्ति को सुरक्षा मंजूरी दे दी गई है और अतः वह प्रत्येक पक्षकार के राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों

के अनुसार, किसी दिए गए सुरक्षा वर्गीकरण स्तर पर वर्गीकृत जानकारी के संचालन के लिए मान्यता प्राप्त है;

- (ड) प्रदानकर्ता संस्था (प्रोवाइडिंग एनटिटी) से तात्पर्य है वह पक्षकार, जो प्राप्तकर्ता संस्था (रिसिविंग एनटिटी) को वर्गीकृत सूचना प्रदान करता है;
- (ढ) प्राप्तकर्ता संस्था (रिसिविंग एनटिटी) से तात्पर्य है वह पक्षकार जो प्रदानकर्ता संस्था (प्रोवाइडिंग एनटिटी) से वर्गीकृत सूचना प्राप्त करता है;
- (ण) सुरक्षा उल्लंघन से तात्पर्य है जानबूझकर की गई या आकस्मिक कोई भी कार्रवाई या चूक जिसके परिणामस्वरूप इस करार के तहत प्रदान की गई या तैयार की गई वर्गीकृत सूचना में वास्तविक या संभावित समझौता या हानि हुई हो;



- (त) सुरक्षा वर्गीकरण स्तर से तात्पर्य है वर्गीकृत जानकारी के लिए प्रत्येक पक्षकार के राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अनुसार तैयार किए गए सुरक्षा स्तर, और जैसा कि इस करार के अनुच्छेद IV, पैरा 1 में अंतर्विष्ट है;
- (थ) तृतीय पक्षकार से तात्पर्य है कोई भी संगठन, राज्य सरकार की संस्था या व्यक्ति जो इस करार का पक्षकार नहीं है;
- (द) वर्गीकृत सूचना के संरक्षण से तात्पर्य है पक्षकारों के राष्ट्रीय कानून के अनुसार और इस करार के तहत वर्गीकृत सूचना के अनधिकृत प्रकटीकरण की रोकथाम के लिए विधायी, संगठनात्मक, तकनीकी और अन्य उपाय करना; और
- (ध) वर्गीकृत सूचना तक पहुंच से तात्पर्य है पक्षकारों के राष्ट्रीय कानून के अनुसार तैयार की गई वर्गीकृत सूचना के लिए किसी व्यक्ति की पहुंच और (अथवा) कार्य।

अनुच्छेद - III

सक्षम सुरक्षा प्राधिकारी

1. इस करार के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी सक्षम सुरक्षा प्राधिकारी, इस करार के अनुलग्नक में सूचीबद्ध हैं।
2. सक्षम सुरक्षा प्राधिकारी अपनी ज़िम्मेदारियों के कुछ भाग को प्रत्यायोजित सक्षम सुरक्षा प्राधिकारी को सौंप सकता है।
3. प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार को अपने संबंधित सक्षम सुरक्षा प्राधिकारी के संपर्क विवरण लिखित रूप में प्रदान करेगा। पक्षकारों के सक्षम सुरक्षा प्राधिकारी अपने संपर्क विवरण में परिवर्तन के बारे में लिखित रूप में एक दूसरे को संसूचित करेंगे।
4. जब भी आवश्यक हो, इस करार के कार्यान्वयन में पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करने के लिए सक्षम सुरक्षा प्राधिकारी एक-दूसरे से परामर्श कर सकते हैं।
5. दोनों सक्षम सुरक्षा प्राधिकारियों के प्रतिनिधि मेज़बान सक्षम सुरक्षा प्राधिकारी के अनुमोदन से, वर्गीकृत सूचना के लिए लागू सुरक्षा प्रक्रियाओं और उपायों की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से फेसिलिटी का पारस्परिक रूप से दौरा कर सकते हैं।
6. अनुरोध किए जाने पर, सक्षम सुरक्षा प्राधिकारी अपने राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अनुसार फेसिलिटी सिक्योरिटी क्लियरेंस और व्यक्तिगत सुरक्षा मंजूरी प्रदान करने की प्रक्रियाओं को पूरा करने में एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं।



7. एक पक्षकार के सक्षम सुरक्षा प्राधिकारी के अनुरोध पर, दूसरे पक्षकार का सक्षम सुरक्षा प्राधिकारी एक लिखित पुष्टि जारी करेगा कि वैध व्यक्तिगत सुरक्षा मंजूरी और/अथवा फेसिलिटी क्लियरेंस जारी की गई है।

8. पक्षकारों के सक्षम सुरक्षा प्राधिकारी अपने संबंधित कानूनों और विनियमों के अनुसार और इस करार की सीमा के भीतर जारी की गई अपने व्यक्तिगत सुरक्षा मंजूरी और फेसिलिटी सिक्योरिटी क्लियरेंस को पारस्परिक रूप से मान्यता देंगे।

9. सक्षम सुरक्षा प्राधिकारी मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत सुरक्षा मंजूरी और फेसिलिटी सिक्योरिटी क्लियरेंस में परिवर्तन के बारे में एक दूसरे को तुरंत लिखित रूप में सूचित करेंगे, जिनके लिए या जिसके लिए इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 8 के अनुसार पुष्टि प्रदान की गई है।

अनुच्छेद - IV **सुरक्षा वर्गीकरण स्तर**

1. दोनों पक्षकार इस बात से सहमत हैं कि सुरक्षा वर्गीकरण स्तर, उनके संबंधित राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अनुसार, समतुल्यता के निम्नलिखित रूप में एक दूसरे के अनुरूप होंगे:

ब्राज़ील गणराज्य	भारत गणराज्य	अंग्रेज़ी अनुवाद
'ULTRASSECRETO'	परम गुप्त	TOP SECRET
'SECRETO'	गुप्त	SECRET
'RESEVADO'	गोपनीय	CONFIDENTIAL

2. इस करार के अनुसार तैयार की गई किसी भी वर्गीकृत सूचना को इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के अनुसार मूल पक्षकार के समकक्ष सुरक्षा वर्गीकरण स्तर से चिह्नित किया जाएगा।

3. प्राप्तकर्ता संस्था इस करार के तहत सभी वर्गीकृत सूचना को चिह्नित करेगी जो उसे इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के अनुसार प्राप्तकर्ता संस्था के समकक्ष सुरक्षा वर्गीकरण स्तर के साथ प्रदानकर्ता संस्था से प्राप्त हुई है। उचित समकक्ष सुरक्षा वर्गीकरण स्तर निर्धारित करने के लिए मूल पक्षकार के सुरक्षा वर्गीकरण स्तर को पहले सूचित किया जाएगा।

4. पक्षकार वर्गीकृत जानकारी के सुरक्षा वर्गीकरण स्तर में किसी भी परिवर्तन और बाद में किए गए संशोधन के बारे में एक दूसरे को सूचित करेंगे।

5. मूल पक्षकार वर्गीकृत सूचना के प्रयोग, प्रकटीकरण, जारी करना और प्राप्तकर्ता संस्था द्वारा पहुंच के लिए सीमा निर्दिष्ट करने के लिए वर्गीकृत सूचना की संचालन अपेक्षाओं के साथ चिह्नित कर सकता है।



6. प्राप्तकर्ता संस्था मूल पक्षकार की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना इस करार के तहत प्राप्त या तैयार वर्गीकृत सूचना के सुरक्षा वर्गीकरण को संशोधित या रद्द नहीं करेगा।
7. पक्षकारों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार वर्गीकृत सूचना को पक्षकारों द्वारा पारस्परिक रूप से निर्धारित सुरक्षा वर्गीकरण स्तर दिया जाएगा।

अनुच्छेद - V **वर्गीकृत सूचना का संरक्षण**

1. पक्षकार इस करार के अनुसार वर्गीकृत सूचना का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए अपने राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के तहत सभी उचित प्रयास करेंगे। वे इस करार के तहत आदान-प्रदान की गई या तैयार वर्गीकृत सूचना को वही सुरक्षा प्रदान करेंगे जो वे संबंधित सुरक्षा वर्गीकरण स्तर पर अपनी स्वयं की वर्गीकृत सूचना को प्रदान करते हैं।
2. पक्षकारों के बीच आदान-प्रदान की गई किसी भी वर्गीकृत सूचना का प्रयोग इस करार के प्रावधानों का सम्मान करेगा।
3. प्रत्येक पक्षकार यह सुनिश्चित करेगा कि इस करार के अनुरूप, राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अंतर्गत और सुरक्षा वर्गीकरण स्तर के अनुसार, संचार और सूचना प्रणालियों द्वारा संसाधित, संग्रहीत या प्रेषित वर्गीकृत सूचना के संरक्षण के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं।
4. प्रत्येक पक्षकार वर्गीकृत सूचना की गोपनीयता, अखंडता, उपलब्धता और, जहां लागू हो, वर्गीकृत सूचना का अस्वीकरण, प्रामाणिकता, जवाबदेही और पता लगाना सुनिश्चित करेगा।
5. कोई पक्षकार, सूचना प्रदाता पक्षकार की लिखित सहमति के बिना किसी भी वर्गीकृत सूचना को प्रकट नहीं करेगा।

अनुच्छेद - VI **वर्गीकृत सूचना का उपयोग**

1. प्रत्येक पक्षकार यह सुनिश्चित करेगा कि सूचना प्रदान करने वाली संस्था:
 - क. अपने राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अनुसार उपयुक्त सुरक्षा वर्गीकरण के साथ वर्गीकृत सूचना को चिह्नित करेगी; और



- ख. सूचना प्राप्त करने वाली संस्था को प्रदान की गई वर्गीकृत सूचना को जारी करने या उसके उपयोग पर सीमाओं की किसी भी शर्त की सूचना देगी, जैसा कि मूल पक्षकार द्वारा निर्धारित किया गया है।
2. प्रत्येक पक्षकार यह सुनिश्चित करेगा कि सूचना प्राप्त करने वाली संस्था:
- क. वर्गीकृत सूचना को उसी स्तर का संरक्षण प्रदान करेगी, जो समतुल्य सुरक्षा वर्गीकरण स्तर की अपनी राष्ट्रीय वर्गीकृत सूचना के लिए प्रदान करती है, जैसा कि अनुच्छेद IV, पैराग्राफ 1 में निर्धारित किया गया है;
 - ख. मूल पक्षकार की पूर्व लिखित सहमति के बिना वर्गीकृत सूचना को अवर्गीकृत या डाउनग्रेड नहीं करेगी;
 - ग. मूल पक्षकार की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी तीसरे पक्षकार को वर्गीकृत सूचना का प्रकटीकरण नहीं करेगी; तथा
 - घ. सिर्फ उन उद्देश्यों के लिए वर्गीकृत सूचना का उपयोग करेगी जिसके लिए उसे जारी किया गया है और वह मूल पक्षकार की संचालन अपेक्षाओं के अनुरूप हो।
3. प्रत्येक पक्षकार, अपनी संवैधानिक आवश्यकताओं, राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अनुसार, मूल की सहमति के सिद्धांत का सम्मान करेगा।

अनुच्छेद-VII **वर्गीकृत सूचना तक पहुंच**

1. प्रत्येक पक्षकार यह सुनिश्चित करेगा कि वर्गीकृत सूचना तक पहुंच, जानने की आवश्यकता के आधार पर प्रदान की जाए।
2. प्रत्येक पक्षकार यह सुनिश्चित करेगा कि जिन व्यक्तियों को वर्गीकृत सूचना तक पहुंच प्रदान की गई है, उन्हें ऐसी जानकारी के संरक्षण की अपनी ज़िम्मेदारियों के बारे में सूचित किया गया हो और उन्होंने सूचना प्राप्त करने वाली संस्था के राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अनुसार गोपनीयता के विवरण पर हस्ताक्षर किए हों।
3. दोनों पक्षकार यह सुनिश्चित करेंगे कि वर्गीकृत सूचना तक पहुंच केवल उन व्यक्तियों को दी जाए जिनके पास संबंधित स्तर पर व्यक्तिगत सुरक्षा मंजूरी है या जो सूचना प्राप्त करने वाली संस्था के राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अनुरूप अपने कर्तव्य के निष्पादन के लिए वर्गीकृत सूचना तक पहुंच के लिए विधिवत अधिकृत हैं।
4. प्रत्येक पक्षकार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधिकार क्षेत्र के तहत कोई भी संस्था जो वर्गीकृत सूचना प्राप्त कर सकती है या उत्पन्न कर सकती है, उसे सुरक्षा मंजूरी दी जानी चाहिए।

अनुच्छेद-VIII

वर्गीकृत सूचना का अनुवाद, पुनःप्रस्तुति और विनष्टीकरण

1. वर्गीकृत सूचना के सभी अनुवादों और पुनःप्रस्तुतियों को मूल वर्गीकृत सूचना के समान ही संरक्षित और नियंत्रित किया जाना चाहिए। इसे मूल वर्गीकृत सूचना के समान सुरक्षा वर्गीकरण स्तर प्राप्त होगा।
2. वर्गीकृत सूचना के अनुवादों में अनुवाद की भाषा में एक उपयुक्त एनोटेशन शामिल होगा, जो दर्शाता है कि उनमें मूल पक्षकार की वर्गीकृत सूचना शामिल है।
3. वर्गीकृत सूचना की पुनःप्रस्तुति की संख्या उसके आधिकारिक उद्देश्य के लिए अपेक्षित मात्रा तक सीमित होगी।
4. ULTRASSECRETO/परम गुप्त/TOP SECRET के सुरक्षा वर्गीकरण स्तर वाली वर्गीकृत सूचना, मूल पक्षकार की पूर्व लिखित सहमति के बिना पुनः प्रस्तुत या अनूदित नहीं की जाएगी।
5. ULTRASSECRETO/परम गुप्त/TOP SECRET सुरक्षा वर्गीकरण स्तर वाली वर्गीकृत सूचना मूल पक्षकार की पूर्व लिखित सहमति के बिना नष्ट नहीं की जाएगी। जब वह प्राप्त करने वाली संस्था के लिए आवश्यक न रह जाए, तो उसे मूल पक्षकार को वापस कर दिया जाएगा।
6. ULTRASSECRETO/परम गुप्त/TOP SECRET सुरक्षा वर्गीकरण स्तर वाली वर्गीकृत सूचना उसे प्राप्त करने वाली संस्था के लिए आवश्यक न रह जाने पर राष्ट्रीय कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुसार नष्ट कर दी जाएगी।
7. यदि कोई संकट की स्थिति सूचना प्राप्त करने वाली संस्था के लिए इस करार के तहत प्रदान की गई वर्गीकृत सूचना का संरक्षण करना असंभव बना देती है, तो वर्गीकृत सूचना को तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। सूचना प्राप्त करने वाली संस्था मूल पक्षकार के सक्षम सुरक्षा प्राधिकारी को तुरंत लिखित रूप में इस वर्गीकृत सूचना को नष्ट करने के बारे में अधिसूचित करेगी।

अनुच्छेद-IX

वर्गीकृत सूचना का संप्रेषण

1. ULTRASSECRETO/परम गुप्त/TOP SECRET और SECRETO/गुप्त/SECRET के सुरक्षा वर्गीकरण स्तर वाली वर्गीकृत सूचना राजनयिक चैनलों के माध्यम से पक्षकारों के बीच संप्रेषित की जाएगी, ताकि अनधिकृत प्रकटीकरण के खिलाफ इसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके या जैसा भी संबंधित सक्षम सुरक्षा प्राधिकारियों द्वारा लिखित रूप में सहमति दी गई हो।



2. जो सुरक्षा वर्गीकरण स्तर पैराग्राफ 1 में शामिल नहीं हैं, उन्हें मूल पक्षकार के राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अनुसार संप्रेषित किया जाएगा।
3. संचार प्रणालियों, नेटवर्क या अन्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माध्यमों से संप्रेषित वर्गीकृत सूचना के लिए संबंधित सक्षम सुरक्षा प्राधिकारियों द्वारा पारस्परिक रूप से स्वीकार किए गए एन्क्रिप्टेड माध्यमों का उपयोग किया जाना चाहिए।
4. वर्गीकृत सूचना के इस प्रकार संप्रेषण की स्थिति में, जब उसके परिवहन के लिए विशेष प्रविधियों की आवश्यकता हो, दोनों सक्षम सुरक्षा प्राधिकारियों द्वारा लिखित रूप में एक लॉजिस्टिक योजना पर अग्रिम सहमति दी जानी चाहिए।

अनुच्छेद-X दौरे

1. किसी भी पक्षकार के प्रतिनिधि द्वारा उन सुरक्षित संस्थानों का दौरा, जहां वर्गीकृत सूचना तक पहुंच हो, उसे संसाधित या दर्ज किया जाता हो, मेज़बान पक्षकार के सक्षम सुरक्षा प्राधिकारी के पूर्व लिखित अनुमोदन के अधीन है, जब तक कि सक्षम सुरक्षा अधिकारियों द्वारा अन्यथा सहमति न दी गई हो। ऐसा अनुमोदन सिर्फ उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जो इस समझौते के अनुच्छेद VII में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
2. इसका अनुरोध मेज़बान पक्षकार के सक्षम सुरक्षा प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित डेटा शामिल हो जिनका उपयोग केवल दौरे के उद्देश्य से किया जाएगा:
 - क. प्रथम और अंतिम नाम, जन्म तिथि और जन्म स्थान, राष्ट्रीयता, अन्य नागरिकता और पहचान कार्ड नंबर/पासपोर्ट नंबर ;
 - ख. आधिकारिक पद और कार्य, साथ ही उस संगठन का नाम और पता जिसमें आगंतुक कार्यरत है या जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है;
 - ग. उस परियोजना का विनिर्देश जिसमें आगंतुक भाग ले रहा है;
 - घ. आगंतुक के व्यक्तिगत सुरक्षा मंजूरी की पुष्टि और उसका स्तर तथा वैधता;
 - ङ. सुविधा संस्थान का नाम, जहां दौरा किया जाना है;
 - च. दौरे का उद्देश्य;
 - छ. जिस वर्गीकृत सूचना को प्राप्त, संसाधित या संग्रहीत किया जाना है, उसका अनुमानित उच्चतम सुरक्षा वर्गीकरण स्तर;
 - ज. उस सुविधा संस्थान का नाम, पता, फोन नंबर, ई-मेल पता और संपर्क बिंदु जिसका दौरा किया जाना है;
 - झ. दौरे की तारीख और अवधि;
 - ञ. आवर्ती दौरों की कुल अवधि; और
 - ट. आगंतुक के सक्षम सुरक्षा प्राधिकारी के एक प्रतिनिधि के तारीख सहित हस्ताक्षर।



3. दौरे का अनुरोध प्रस्तावित यात्रा तिथि से कम से कम, 21 (इक्कीस) कैलेंडर दिवस पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जब तक कि दोनों पक्षों के सक्षम सुरक्षा प्राधिकारी एक अलग अवधि पर सहमत न हों;
4. सक्षम सुरक्षा प्राधिकारी, उन व्यक्तियों की एक सूची पर सहमत हो सकते हैं, जो अधिकतम 12 (बारह) महीने की अवधि में आवर्ती दौरों के लिए पात्र हैं। सक्षम सुरक्षा प्राधिकारी इन आवर्ती दौरों के अतिरिक्त विवरण पर सहमत होंगे।
5. मेज़बान पक्षकार का सक्षम सुरक्षा प्राधिकारी, दौरा किए जाने वाले संगठन के सुरक्षा अधिकारियों को उन व्यक्तियों के विवरण की सूचना देगा जिनके दौरे के अनुरोधों को मंजूरी दे दी गई है। एक बार अनुमोदन दिए जाने के बाद, जिन व्यक्तियों को आवर्ती दौरों का अनुमोदन दिया गया है, उनके लिए दौरे की व्यवस्था सीधे संबंधित एजेंसी, संस्थान या संगठन में की जा सकती है।
6. अधिकारी को संप्रेषित किसी भी वर्गीकृत सूचना को इस करार के तहत वर्गीकृत सूचना माना जाएगा और इस करार के प्रावधानों के अनुसार उसका संचालन किया जाएगा। इसके अलावा, अधिकारी को मेज़बान पक्षकार के सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा।
7. पक्षकार अपने राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अनुसार, दौरे का अनुरोध करने वाले व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण को सुनिश्चित करेंगे। दौरे का अनुरोध निर्धारित करने के अलावा व्यक्तिगत डेटा का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।
8. अधिकृत किए जाने पर, मेज़बान पक्षकार के सक्षम सुरक्षा प्राधिकारी दौरे का अनुरोध करने वाले पक्षकार को जल्द से जल्द सूचित करेगा और उस संस्थान को भी सूचित करेगा जिसका दौरा किया जाना है।

अनुच्छेद-XI **सुरक्षा उल्लंघन**

1. जब प्राप्तकर्ता संस्था को इस करार के तहत वर्गीकृत सूचना से संबंधित किसी सुरक्षा उल्लंघन का संदेह होता है या उसका पता चलता है, तो जहां सुरक्षा उल्लंघन हुआ है, उस पक्षकार का सक्षम सुरक्षा प्राधिकारी तुरंत दूसरे पक्षकार के सक्षम सुरक्षा प्राधिकारी को सूचित करेगा। सूचना में मूल पक्षकार के लिए पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि वह संदिग्ध या अभिनिश्चित सुरक्षा उल्लंघन के परिणामों और परिस्थितियों का आकलन कर सके।
2. जहां सुरक्षा उल्लंघन हुआ है, उस पक्षकार का सक्षम सुरक्षा प्राधिकारी किसी भी संदिग्ध या अभिनिश्चित सुरक्षा उल्लंघन की जांच करने के लिए अपने राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अनुसार तुरंत सभी आवश्यक कदम उठाएगा। यदि सहमति हो, तो मूल पक्षकार का सक्षम सुरक्षा प्राधिकारी जांच में सहयोग



कर सकता है। मूल पक्षकार को हमेशा जांच के परिणामों और किए गए उपायों, यदि कोई हों, के बारे में सूचित किया जाएगा।

3. जहां सुरक्षा उल्लंघन हुआ है, उस पक्षकार का सक्षम सुरक्षा प्राधिकारी सुरक्षा उल्लंघन के असर को कम करने और किसी भी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अपने राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अनुसार कानूनी कदमों सहित सभी कदम उठाएगा, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं होगा।

4. जब किसी तीसरे पक्षकार में सुरक्षा उल्लंघन हुआ हो, तो उस पक्षकार का सक्षम सुरक्षा प्राधिकारी, जिसने तीसरे पक्षकार को सूचना प्रेषित की है, सुरक्षा उल्लंघन के बारे में मूल पक्षकार के सक्षम सुरक्षा प्राधिकारी को तुरंत सूचित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सुरक्षा उल्लंघन की उचित जांच की जाए और जांच के परिणामों तथा किए गए किसी भी उपाय के बारे में सूचित किया जाए।

5. कोई भी पक्षकार सुरक्षा उल्लंघन जांच प्रक्रिया के बारे में सूचना का अनुरोध कर सकता है।

अनुच्छेद-XII **वर्गीकृत संविदा**

1. यदि कोई पक्षकार या उप-ठेकेदार सहित कोई ठेकेदार दूसरे पक्षकार के अधिकार क्षेत्र में किसी ठेकेदार को वर्गीकृत संविदा देने का प्रस्ताव करता है, तो उसे पहले दूसरे पक्षकार के सक्षम सुरक्षा प्राधिकारी से लिखित पुष्टि लेनी चाहिए कि उस ठेकेदार को उपयुक्त सुरक्षा वर्गीकरण स्तर पर फेसिलिटी सिक्योरिटी क्लीयरेंस मिला हुआ है।

2. जिस पक्षकार ने वर्गीकृत संविदा निष्पादित किया है, उसका सक्षम सुरक्षा प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि ठेकेदार और यदि लागू हो, तो उसका उप-ठेकेदार:

- क) यह सुनिश्चित करेगा कि जिन व्यक्तियों को वर्गीकृत सूचना तक पहुंच प्रदान की गई है, उन्हें इस करार में निर्धारित शर्तों के अनुरूप और राष्ट्रीय कानूनों व विनियमों के अनुसार वर्गीकृत सूचना के संरक्षण के लिए उनकी जिम्मेदारियों के बारे में सूचित कर दिया गया है;
- ख) राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अनुसार अपनी सुविधाओं के भीतर सुरक्षा संबंधी व्यवस्था की निगरानी करेगा;
- ग) वर्गीकृत करारों से संबंधित किसी भी सुरक्षा संबंधी घटना की सूचना अपने सक्षम सुरक्षा प्राधिकारी को तुरंत देगा; और
- घ) वर्गीकृत सूचना की सुरक्षा के लिए उपयुक्त सुविधा सुरक्षा संबंधी मंजूरी देगा और उन व्यक्तियों को एक उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा मंजूरी प्रदान करेगा जिनको वर्गीकृत सूचना तक पहुंच चाहिए।

3. इस करार के अनुसार किए गए वर्गीकृत उप-संविदाओं सहित प्रत्येक वर्गीकृत संविदा में सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं शामिल होंगी जो निम्नलिखित पहलुओं का अभिनिर्धारण करती हैं:



- क) सुरक्षा वर्गीकरण मार्गदर्शिका, जिसमें हमेशा अनुच्छेद IV, पैराग्राफ 1 की तालिका शामिल होगी, जिसमें वर्गीकृत करार के प्रत्येक भाग के लागू सुरक्षा संबंधी वर्गीकरण स्तरों को निर्दिष्ट किया जाएगा;
 - ख) सुरक्षा वर्गीकरण स्तर में परिवर्तन की संसूचना के लिए प्रक्रिया;
 - ग) वर्गीकृत सूचना को पहुँचाने और/या प्रेषण के लिए उपयोग किए जाने वाले चैनल और प्रक्रियाएं;
 - घ) वर्गीकृत सूचना के संचालन और भंडारण के लिए निर्देश;
 - ङ) वर्गीकृत संविदा से संबंधित वर्गीकृत सूचना का संपर्क संबंधी विवरण; और
 - च) किसी भी सुरक्षा उल्लंघन को सूचित करने का दायित्व
4. वर्गीकृत संविदा के अवार्ड को प्राधिकृत करने वाले पक्षकार का सक्षम सुरक्षा प्राधिकारी, वर्गीकृत करार की सुरक्षा निगरानी को सुविधाजनक बनाने के लिए, प्राप्तकर्ता संस्था के सक्षम सुरक्षा प्राधिकारी को सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी की एक प्रति भेजेगा।

अनुच्छेद-XIII

लागत

प्रत्येक पक्षकार इस करार के सभी पहलुओं के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के फलस्वरूप होने वाले अपने खर्चों का वहन स्वयं करेगा, जब तक कि पक्षकारों द्वारा पारस्परिक रूप से अन्यथा निर्धारित न किया जाए।

अनुच्छेद -XIV

विवाद निपटान

1. इस करार की व्याख्या या कार्यान्वयन या अनुप्रयोग, या किसी भी संबंधित मामले से पक्षकारों के बीच उत्पन्न होने वाले कोई भी विवाद, पक्षकारों के बीच विशेष रूप से परामर्श और बातचीत के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जाएगा और इसके निपटान के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय या तीसरे पक्षकार को नहीं भेजा जाएगा।
2. विवाद निपटान अवधि के दौरान, दोनों पक्षकार इस करार के तहत अपने दायित्वों को पूरा करना जारी रखेंगे।
3. दोनों पक्षकारों के बीच विवाद निपटान प्रक्रियाएं गोपनीयता के सिद्धांत के आधार पर संचालित की जाएंगी।



अनुच्छेद - XV संसूचना

पक्षकारों के बीच इस करार के कार्यान्वयन से संबंधित सभी औपचारिक संसूचनाएं अंग्रेज़ी भाषा में लिखित रूप में की जाएंगी।

अनुच्छेद -XVI करार को लागू करना

यह करार अंतिम अधिसूचना की प्राप्ति के बाद दूसरे माह के पहले दिन से लागू होगा, जिसके तहत पक्षकार राजनयिक चैनलों के माध्यम से एक-दूसरे को सूचित करेंगे कि इसके लागू होने के लिए उनकी आवश्यक आंतरिक कानूनी आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं।

अनुच्छेद -XVII संशोधन

1. इस करार में, इसके संलग्नक सहित, किसी भी समय लिखित रूप में, संशोधनों के माध्यम से और पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से संशोधन किया जा सकता है। संशोधनों का प्रस्ताव राजनयिक चैनलों के माध्यम से किया जाएगा।
2. ये संशोधन इस करार के अनुच्छेद XVI में निर्धारित शर्तों के तहत लागू होंगे, संलग्नक के संशोधनों के अपवाद के साथ, जो पक्षकारों द्वारा सहमत की जाने वाली तारीख से लागू होंगे।

अनुच्छेद - XVIII वैधता और समाप्ति

1. यह करार दस वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा और आपसी सहमति से पांच वर्ष की नई अवधि के लिए इसे नवीकृत किया जाएगा, जब तक कि करार करने वाले पक्षकारों में से कोई एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को इसकी वर्तमान वैधता अवधि की समाप्ति से छः महीने पहले लिखित रूप में इसे नवीकृत न करने के अपने इरादे की सूचना न दे।
2. कोई भी पक्षकार किसी भी समय, राजनयिक माध्यमों से, दूसरे पक्षकार को लिखित नोटिस देकर इस समझौते को समाप्त कर सकता है।



अनुलग्नक

इस समझौते के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार सक्षम सुरक्षा प्राधिकारी निम्नलिखित हैं:

सक्षम सुरक्षा प्राधिकरण, जो इस समझौते के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार हैं:

क) भारत गणराज्य की ओर से —

भारत गणराज्य के गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय;

ख) ब्राजील संघीय गणराज्य की ओर से —

ब्राजील संघीय गणराज्य की राष्ट्रपति पद की संस्थागत सुरक्षा मंत्रिमंडल।

3. करार की समाप्ति उस तारीख से छः महीने बाद प्रभावी होगी जिस दिन दूसरे पक्षकार को समाप्ति की सूचना प्राप्त होगी।

4. इस करार की समाप्ति पर, इस करार के अंतर्गत आदान-प्रदान की गई, जारी की गई या तैयार की गई कोई भी वर्गीकृत सूचना, समाप्ति से पहले इस करार की शर्तों के अनुसार संरक्षित की जाती रहेगी, जब तक कि वर्गीकृत सूचना वर्गीकृत बनी रहती है।

अनुच्छेद - XIX अंतिम निपटान

सक्षम सुरक्षा प्राधिकारी एक दूसरे को अपने-अपने राष्ट्रीय कानूनों, नियमों और विनियमों के बारे में सूचित करेंगे और इस करार के तहत प्रदान की गई वर्गीकृत जानकारी की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले और इस करार पर प्रभाव डालने वाले संशोधनों के बारे में एक दूसरे को तुरंत सूचित करेंगे। ऐसे परिवर्तनों की स्थिति में, पक्षकार इस समझौते की समीक्षा करने की आवश्यकता पर चर्चा करेंगे।

साक्ष्य स्वरूप, हस्ताक्षरकर्ताओं ने अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत होने के नाते, इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

ब्रासीलिया (शहर) में (दिन) जुलाई (महीना) के २०२५ (वर्ष) को पुर्तगाली, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में दो मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए, सभी पाठ समान रूप से अधिप्रमाणित हैं। व्याख्या में मतभेद होने की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

ब्राजील के संघीय गणराज्य के लिए

माकोस अंतोनियो अमारो दोस सांतोस
ब्राजील के संघीय गणराज्य की राष्ट्रपति पद की
संस्थागत सुरक्षा मंत्रिमंडल के मंत्री-मुख्य

भारत गणराज्य के लिए

दिनेश भाटिया
ब्राजील में भारत के राजदूत

